श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2025 को अररिया समाहरणालय सभागार में किये गये सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अररिया जिला के परमान सभागार में एजेंडा के अनुसार उच्च स्तरीय बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उपस्थितिः- बैठक में जिला पदाधिकारी, श्री अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, श्री अंजनी कुमार सहित अपर समाहर्त्ता, अररिया, अपर समाहर्त्ता, PGRO, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, कमान्डेंट सीमा सुरक्षा बल एवं जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, सिविल सर्जन, नगर निगम, नगर पंचायत, सभी कार्यपालक अभियंता, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, जीविका, नगर निकाय एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य रूप से जिले के प्रशासनिक कार्यो के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था, भूमि सुधार, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट निर्देश दिये गये।

1. Border Security - भारत-नेपाल सीमा पर पेट्रॉलिंग, वाहन जाँच, SSB से समन्वय एवं लंबित मामलों/पत्रों का निष्पादन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी। भारत नेपाल अंतराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए अररिया जिला में 52वी वाहिनी तथा 56 वीं वाहिनी तैनात है। कमान्डेंट, 56वी वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, अररिया द्वारा बताया गया कि 11 BOP में जमीन की कमी है तथा कुर्साकांटा के अंतर्गत अन्तराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण का नवीनतम विवरणी अंचल अधिकारी, कुर्साकॉटा से अनुपलब्ध है। कमान्डेंट, 52वी वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, बथनाहा की ओर से No man's land से अतिक्रमण हटाने तथा भारत-नेपाल अंतराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ लगती हुयी सरकारी भूमि की उपलब्धता की जानकारी है के संबंध में जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। तथा बरसात के दिनों में विरपुर-सोनापुर मार्ग पर करीब 500 मी० लंबाई तक रूना नदी का पानी चढ़ जाने से आवागमन में दिक्कत की बात बतायी गयी। इस संबंध में जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सीमा सुरक्षा बल की ओर से प्राप्त पत्र के आलोक में लंबित मामले का जल्द निपटारा किया जाय। भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी एवं निगरानी हेतु सी०सु०बल एवं स्थानीय थाना को संयुक्त रूप से प्रत्येक दिन पेट्रोलिंग तथा सघन वाहन जाँच करने का निदेश दिया गया। सीमा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधीक्षक, मद्य निषेध को सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन जाँच कर शराबबंदी को हर हाल में प्रभावी बनाने का निदेश दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी संबंधित थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर चौकीदारों एवं संबंधित अधिकारियों को सक्रिय करते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें।

वर्तमान सुरक्षा दृष्टिकोण से सभी बॉर्डर प्वाइंट पर 24X7 Surveillance टीम की प्रतिनियुक्ति करते हुए सघन जाँच अभियान का निदेश दिया गया। Surveillance टीम में 8-8 घंटे की पाली में Magistrate एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया जाय।

(अनुपालन-जिला पदाधिकारी,अररिया/पुलिस अधीक्षक,अररिया)

2. Civil Defence - अररिया जिला के Civil Defence Volunteer के लिए Scout Guide, NCC, नेहरू युवा केन्द्र तथा अन्य स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से वॉलंटियर्स चयनित करने का निदेश दिया गया। इस कार्य में वार्ड सदस्य, जन प्रतिनिधि तथा Civil Society को शामिल किया जाय। चयनित वॉलंटियर्स का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाय तथा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक कर चयन की रूपरेखा तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया। सायरन क्रय के संबंध में जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अररिया शहर के लिए सायरन का प्रस्ताव दिया गया है, परंतु कितने सायरन की

आवश्यकता है, यह तय नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से स्थल तथा Specification निर्धारित करेंगे। फारबीसगंज शहर में भी सायरन लगाने का प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया। नियमानुसार क्रय की कार्रवाई शीघ्र की जाय। Satellite Phone के उचित उपयोग हेतु जिला/पुलिस प्रशासन के वरीय स्तर पर आवंटित करने का आवश्यक निदेश दिया गया।

(अनुपालनः-जिलापदाधिकारी/पुलिसअधीक्षक/उप नियंत्रक, सिविल डिफेंस)

3. महिला संवाद, डॉ अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान, नगर निकाय अतर्गत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा की गयी। महिला संवाद कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका द्वारा बताया गया कि अररिया जिला में 18 गाड़ियों का आवंटन किया गया है। अब तक 882 संवाद संपन्न हो चुके हैं, जिसमें 200159 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। महिलाओं की आकांक्षाओं पर आधारित प्रमुख बिन्दुओं की रिपोर्ट तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया। महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाली ऐसी महिलाएं जो किसी भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें भी यथाशीघ्र आच्छादित करने का निदेश दिया गया। डॉ0 अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा की गयी। इसके तहत प्राप्त आवेदनों पर समुचित रूप से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

उच्च स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि महिला संवाद तथा डॉ0 अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान में शिविर प्रभारी तथा पंचायत कर्मी की उपस्थिति शत-प्रतिशत नहीं है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी को आवश्यक जाँच पड़ताल करने का निदेश दिया गया। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन ऑन द स्पॉट करते हुए सभी वंचित पात्रता प्राप्त लाभुकों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

4. अभियान बसेरा-2, परिमार्जन प्लस, जमाबंदी का आधार लिंकिंग, सरकारी जमीन की जमाबंदी तथा सैरात बंदोबस्ती की समीक्षा की गयी। अभियान बसेरा-2 के तहत अररिया जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों का सर्वे कार्य तथा वंचितो को भूमि उपलब्ध कराने की समीक्षा की गयी। साथ ही पात्र लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अभी भी अंचल अधिकारी के स्तर से आवश्यक गंभीरता का अभाव है। कतिपय अंचल अधिकारी अभियान बसेरा-2 के संबंध में लक्ष्य के विरूद्ध आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके। पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में अंचल अधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया था। किन्तु यह पाया गया कि इस संबंध में अभी तक यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता को सभी अंचल अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण-पत्र 15 दिनों के अंदर प्राप्त करने का निदेश दिया गया। परिमार्जन प्लस के तहत अस्वीकृत आवेदनों पर कारण सहित आदेश अंकित करेंगे।

(अनुपालनः-अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी)

5. पुलिस विभागः- वर्तमान में भारत पाक तनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- विधि व्यवस्था संधारणः- विधि व्यवस्था के संबंध मे निदेश दिया गया है कि जिला अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थल यथा रेलवे स्टेशन, दूरसंचार केन्द्र, पावर सब-स्टेशन, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का निरीक्षण कर लें । QRT Team का गठन कर सक्रिय अवस्था में रखे ताकि आकस्मिक एवं आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके। थानाध्यक्षों को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्ती करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिले के सीमावर्ती (अन्य जिले से सटे) क्षेत्र में विशेष गश्ती अभियान संचालित करें तथा जगह जगह वाहनों की चेकिंग भी संचालित किया जाय।

(अनुपालनः-जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक)

- आसूचना संग्रहः- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से थाना स्तर पर चौकीदारों तथा अन्य स्त्रोतों से हो रही गतिविधियों का सूचना संग्रहन करेंगे। साथ ही, असामाजिक तत्वों तथा संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति का पता लगायेंगे और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे। प्रखंड विकास

पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत स्तरीय तथा स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से नियमित संपर्क में रहेंगे तथा उनसे सूचना संग्रहित करेगें एवं क्षेत्र में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विशेषकर राष्ट्र विरोधी तत्व, अतिवादी तत्व के सक्रियता पर भी नजर रखेंगे।

(अनुपालनः- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी)

- सामुदायिक सहयोगः- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया/ फारबिसगंज को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों से संपर्क में रहेंगे तथा उनमें पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करेंगे एवं उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रशासनिक सहयोग हेतु समाजिक कार्यकर्त्ता का सहयोग लेंगे तथा उनमें जागरूकता हेतु कार्यक्रम भी चलायेंगे।

(अनुपालनः- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

- संवेदनशील अवसंरचनाओं की सुरक्षाः- उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं एवं संस्थाओं यथा रेलवे, पावर सब-स्टेशन, दूरसंचार संस्थान, सरकारी संस्थान का निरीक्षण कर लें एवं संवेदनशील स्थलों तथा महत्वपूर्ण Installaltion को चिन्हित कर ले तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं अन्य उपाय यथा CCTV, डॉग स्क्वाड आदि का उपयोग करें।

(अनुपालनः- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

- आपदा एवं संकट प्रबंधन :- वर्तमान तनाव के मद्देनजर दंगा, प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी गतिविधि एवं Cyber incident से निपटने हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर लें। वर्तमान परिस्थिति में असामाजिक तत्व एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा दो समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिस पर सतत् निगरानी रखने की आवश्यकता है तथा समुदायों के बीच परस्पर विश्वास कायम रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाना है, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकें। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अररिया को निदेश दिया गया कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को 24X7 सक्रिय अवस्था में रखें। साथ ही सेटेलाईट फोन को सुचारू एवं सक्रिय अवस्था में रखेंगे ताकि आपातकालीन स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। (अनुपालनः- अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अररिया)

- संचार सुरक्षा तथा **IT Surveillance** :- इस संबंध में जिला पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत् IT Manager/IT Assistant को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन सुबह एवं शाम जाकर आवश्यक Monitoring कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की तकनीकि समस्या होने पर तुरंत समाधान किया जा सके।

(अनुपालनः-जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, IT Manager/IT Assistant)

- उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Social Media पर विशेष नजर रखेंगे यथा WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram आदि पर दिये गये Fake News एवं रूढ़िवादी प्रसंगो पर अविलंब संज्ञान लेंगे तथा नियमानुसार समुचित कार्रवाई संबंधित व्यक्ति तथा समूह पर करेंगे। साथ ही, अफवाहों को संचालित/प्रसारित करने वाले व्यक्ति एवं समूहों पर नजर रखेंगे।

(अनुपालनः- जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/ फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी तथा थानाध्यक्ष, अररिया)

- PD Cases, BW / DW Cases में तेजी लाने का निदेश दिया गया। SC/ST के मामलों में ससमय Charge Sheet दाखिल किया जाय। आर्म्स एक्ट के आवेदनों के निष्पादन में देरी न किया जाय। Security Proceeding के तहत सभी थाना के स्तर पर वर्तमान सुरक्षा माहौल में Trouble Makers को चिन्हित करते

हुए कार्रवाई (Bond Execution) करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल दंडाधिकारी, अररिया तथा फारबिगंज को निदेश दिया जाता है कि पूर्व में निर्गत किये गये जितने बंध पत्रों में उल्लंघन हुये है उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। बॉर्डर क्षेत्र एवं संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे दिवा गश्ती तथा रात्रि गश्ती सुनिश्चित करायी जाय।

- साम्प्रदायिक मामलों के संबंध में पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा बताया गया कि पूर्व के सभी कांडों में Charge Sheet दायर कर दिया गया है। एक मामला लंबित है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि 6 अभियोजन स्वीकृति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से लंबित है। अररिया जिला साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील रहा है। संवेदनशील जगह जिला मुख्यालय से काफी दूर है। अतः संवेदनशील स्थानों विशेषकर मंदिर, मस्जिद आदि की सूची तैयार कर Surveillance की व्यवस्था की जाय। स्थानीय स्तर पर चौकीदार को आवश्यक निगरानी हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करने का निदेश दिया गया। धार्मिक स्थल के समक्ष आपत्तिजनक सामग्रियों को फेकने तथा साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास इस क्षेत्र में पूर्व से रहा है। अतः इस पर पूरी निगरानी रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से समीक्षा कर पूरी निगरानी रखेंगे।

(अनुपालनः-जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक)

6. अग्निशमन :- अग्निशमन पदाधिकारी, अररिया को निदेश दिया गया कि किसी भी अग्निकांड की स्थिति से निगपटने हेतु अग्निशमन गाड़ियों तथा कर्मियों को सक्रिय रखेंगे। अग्निशमन कार्यालय के दूरभाष को 24X7 चालू रखेंगे। अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अररिया जिला में 11 अग्निशमन वाहन है, जिन्हें मुख्यालय तथा विभिन्न थानों में अग्नि कांड से बचाव हेतु रखा गया है। अग्निशमन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि जिला में Foam Tender नहीं है। जिसके कारण कुछ दिन पहले हुए अग्निकांड की घटना में इसे पूर्णिया जिला से मंगवाया गया था। जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अग्निशमन हेतु आवश्यक संसाधन की सूची तैयार कर विभाग को एक सप्ताह के अंदर अधियाचना भेजें तथा प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। किसी भी स्थिति में अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु आवश्यक संसाधन जिला में उपलब्ध हो।

(अनुपालनः-जिला अग्निशन पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी)

7. चिकित्सीय व्यवस्थाः- सिविल सर्जन, अररिया को निदेश दिया गया कि किसी भी आपातकालीन अवस्था से निपटने हेतु सदर अस्पताल सहित सभी अस्पतालों को 24X7 सभी प्रकार की दवाओं तथा चिकित्साकर्मी एवं पारा मेडिकल स्टॉफ के साथ सक्रिय रखेंगे। साथ ही उन्हें निदेश दिया गया कि प्रर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं रक्त प्लाज्मा की व्यवस्था भी रखेंगे। सभी एम्बुलेंस को सक्रिय तथा सुचारू एवं चलायमान अवस्था में रखेंगे।

(अनुपालनः-सिविल सर्जन, अररिया)

8. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :- सैरात बंदोबस्ती, परिमार्जन प्लस, जमाबंदी का आधार लिंकिंग, सरकारी जमीन की जमाबंदी, 0-5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लंबित मामले, भू-अर्जन के लंबित मामले तथा न्यायालय में पुराने वादों के निष्पादन के संबंध में बैठक में समीक्षा की गयी। कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वासन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में अंचल अधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया। पुर्नवास की कार्रवाई 1 माह में पूरा करें।

(अनुपालनः-सभी अंचल अधिकारी, अररिया)

9. पंचायत सरकार भवन :- अररिया जिलान्तर्गत कुल 211 पंचायत सरकार भवन में से 199 में जमीन उपलब्ध है। 12 पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन नही मिला है। 31 पंचायत सरकार भवन बना हुआ है तथा 30 जगहों पर काम चल रहा है। इस संबंध में लंबित मामले का निष्पादन कराते हुए कार्य प्रारंभ करने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया साथ ही जिन पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है उसे माह अगस्त तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः-जिला पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अररिया)

10. मंडल कारा में कैदी क्षमता, बैरक की स्थिति, रसोई तथा अन्य के संबंध में समीक्षा की गयी। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आज कि तिथि में कुल 1258 क्षमता में से 1210 कैदी हैं, जो 28 वार्डों में आवासित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अधीक्षक को निदेश दिया गया कि जेल के अंदर की गतिविधियों पर विशेष रूप से सतर्क रहा जाय।

(अनुपालनः-अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया)

11. कार्यालयों का स्वच्छता एंव सौंदर्यीकरण :- समाहरणालय स्थित कार्यालय का साफ-सफाई तथा रंग रोगन का निरीक्षण किया गया जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। कार्यालय को सुव्यवस्थित रखें, अनावश्यक वस्तुएं हटाई जाएं एवं पुरानी संचिका को अलग रखें तथा महत्वपूर्ण संचिका सुरक्षित रखा जाय।

12. जिला स्तरीय कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा नगर निकाय के कार्यालय का निरीक्षण वरीय पदधिकारी के माध्यम से समय-समय पर कराने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया। आवासीय विद्यालयों का जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराने का निदेश दिया गया।

13. जिला स्तरीय कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा नगर निकाय के कार्यालय का निरीक्षण वरीय पदधिकारी के माध्यम से समय-समय पर कराने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया। आवासीय विद्यालयों का जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः-जिला पदाधिकारी, अररिया)

14. जिला परिषद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगर निकाय, अररिया, फारबिगंज, जोगबनी के मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के साथ नगर निकाय/जिला परिषद के समस्या पर चर्चा की गयी। जिला पदाधिकारी, अररिया को निदेशित किया गया कि अररिया टॉउन में बस स्टैंड हेतु स्थल को निर्धारित करें ताकि नगर परिषद, अररिया के स्तर से यात्री की सुविधा हेतु मूलभूत सुविधाओं का अधिष्ठापन किया जा सके। जिला परिषद, अररिया के अध्यक्ष की ओर से जिला परिषद के जमीन का अतिक्रमण की समस्या से अवगत कराया गया। इस संबंध में उप विकास आयुक्त, अररिया को अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

जोगबनी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद द्वारा बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में Hospital नहीं है। यह बताया गया कि APHC है किंतु डॉक्टर एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सिविल सर्जन, अररिया को आवश्यक जाँचोपरांत डॉक्टर तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, अररिया इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः-जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सिविल सर्जन, अररिया)

15. जोगबनी Check Point के संबंध में समीक्षा बैठक में SSB के पदाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा ट्रैफिक की समस्या से अवगत कराया गया। यह बिन्दु भी संज्ञान में आया कि समान्यतः जोगबनी में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। अतः इस संबंध में जोगबनी Border पर पुलिस प्रशासन का Check Point लगाने का निर्णय लिया गया। Check Point पर 24X7, 8- 8 घंटे की पाली में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करते हुये वाहनों का औचक निरीक्षण करने का निदेश जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को दिया गया। चेकपोस्ट के माध्यम से शराबबंदी का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाय।

(अनुपालनः-जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, अररिया)

अन्यायः- बैठक में Specific रूप से परिलक्षित निम्नांकित बिन्दु पर कार्रवाई का निदेश दिया गयाः-

(क) डॉ अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान के तहत लगभग 3,500 वास भूमि का आवेदन प्राप्त हुआ है। इस आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तार कराकर अनुमान्य परिवारों को सरकार के निदेश के आलोक में वास भूमि उपलब्ध कराया जाय। तथा उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जाय।

(ख) यह पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति के उपरांत प्रथम किस्त के भुगतान में काफी अधिक मामला लंबित है। यह बताया गया कि अन्य तकनिकी करणों के साथ साथ एक ही व्यक्ति के कई आधार कार्ड होने के मामला दृष्टिगत पाया गया है। तकनिकी कारणों का शीघ्र निस्तार कराते हुए प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जाय। अवैध रूप से Multiple आधार कार्ड के मामलो की जाँच कराते हुए उक्त गैर कानूनी कार्य के लिए दोषी लोगों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जाँच कराकर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) नरपतगंज अंचल के हल्का कर्मचारी श्री जितेन्द्र राय के संबंध में शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा की गयी। जाँचोपरांत कार्यहित में उक्त हल्का कर्मचारी का स्थानांतरण अन्यंत्र करने का निदेश जिला पदाधिकारी, अररिया को दिया गया।

बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें और समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को लाभ समय पर पहुँचाना सुनिश्चित करें।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 2866/ पूर्णिया, दिनांक 17-05-25

प्रतिलिपि :- 1. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, राजस्व/अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सिविल डिफेंस अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. समादेष्टा, SSB (52वी एवं 56 वी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. जिला परिषद्, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मुख्य पार्षद/पार्षद, अररिया,फारबिसगंज,जोगबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/समादेष्टा, अग्निशमन, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. अररिया जिलान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय तथा संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सिविल डिफेंस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Raja K.
17/5/2025.
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।